Extract of Act No. 1 of 1982 relating to Energy Development Cess

MADHYA PRADESH ACT

No. 1 of 1982

THE MADHYA PRADESH UPKAR ADHINIYAM, 1981

[Received the assent of the President on the 16th December, 1981; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extra-ordinary), dated the 12th January 1982].

An Act to provide for levy of certain cesses.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows:—

* * * * *

PART—I ENERGY DEVELOPMENT CESS

Definitions.

2. In this part unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) 'cess' means the energy development cess levied under section 3;

(b) 'Fund' means the energy development fund referred to in sub-section (2) of section 3;

(c) words and expressions used but not defined in this part and defined in Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949 (X of 1949), shall have the meaning respectively assigned to them in that Act.

Levy of energy development cess.

3. (1) Subject to the exceptions specified in section 4, every distributor of electrical energy shall pay to the State Government at the prescribed time and in the prescribed manner an energy development cess at the rate of [illegible] paise per unit on the total units of electrical energy sold or supplied to a consumer or consumed by himself or his employees during any month :

Provided that no cess shall be payable in respect of electric energy—

[1][(i) (a) sold or supplied to the Government of India for consumption by that Government; or

(b) sold or supplied to the Government of India or a railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway administered by the Government of India ;]

[2][(ii) sold or supplied in bulk to a Rural Electric Co-operative Society registered under the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961);]

Explanation.—For the purposes of this sub-section 'month' means such period as may be prescribed.

(2) The proceeds of the cess under sub-section (1) shall first be credited to the Consolidated Fund of the State and the State Government may at the commencement of each financial year, after due appropriation has been made by law, withdraw from the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to the proceeds of cess realised by the State Government in the preceding financial year and shall place it to the credit of a separate fund to be called the Electrical Development Fund and such credit to the said fund shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State Government of Madhya Pradesh.

(3) The amount in the credit of the fund shall, at the discretion of the State Government be utilised for——

(a) research and development in the field of energy including electrical energy as well as other conventional and non-conventional sources of energy;

(b) improving the efficiency of generation, transmission, distribution and utilisation of energy including reduction of losses in transmission and distribution;

(c) research in design, construction, maintenance, operation, and materials of the equipment used in the field of energy with a view to achieve optimum efficiency, continuity and safety;

(d) survey of energy sources including non-perenial sources to alleviate energy shortage;

(e) energy conservation programmes;

(f) extending such facilities and services to the consumers as may be deemed necessary;

(g) creation of a laboratory and testing facilities for testing of electrical appliances and equipments and other equipments used in the field of energy;

(h) programmes of training conducive to achieve any of the above objectives;

(i) transfer of technology in the field of Energy;

2[(ii) any purpose connected with safety of electrical installations; and]

(j) any other purposes connected with improvement of generation, transmission, distribution or utilisation of electrical and other forms of energy, as the State Government may, by notification, specify.

Explanation.—In this sub-section 'energy' includes all conventional and non-conventional forms of energy.

(4) If any question arises as to whether the purpose for which the fund is being utilised is a purpose falling under sub-section (3) or not, the decision of the State Government thereon shall be final and conclusive.

Madhya Pradesh Act No. X of 1947 and rules made thereunder to apply.

4. The provisions of sections 4 to 9 (both inclusive) of the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949 (X of 1949) and the rules made thereunder shall mutatis mutandis apply to cess under this Act as they apply to levy of duty on sale or consumption of electrical energy under that Act and for that purpose reference to 'duty' or 'electricity duty' in the said Act or the rules made thereunder, as the case may be, shall be construed as reference to 'cess'.

—1541—USED-1-12-86-500.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी. बि. पू. भु./04 भोपाल-2001.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम.पी. 108/भोपाल/2001.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 352]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2001—आषाढ़ 8, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 जून 2001

क्र. 4520-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक २ सन् २००१.

मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश, २००१.

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २९ जून, २००१ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश, २००१ है. संक्षिप्त नाम.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. १ सन् १९८२ का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १ सन् १९८२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा ३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:--

ऊर्जा विकास उपकर का उद्ग्रहण.

"३ (१) विद्युत् ऊर्जा का प्रत्येक वितरक उस विद्युत् ऊर्जा के, जो किसी मास के दौरान किसी उपभोक्ता को बेची गई या प्रदाय की गई हो या स्वयं उसके द्वारा या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त की गई हो, कुल यूनिटों पर ऊर्जा विकास उपकर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से, विहित रीति में तथा विहित समय पर, राज्य सरकार को चुकाएगा:

परन्तु कोई उपकर ऐसी विद्युत् ऊर्जा के संबंध में देय नहीं होगा जो—

(एक) (क) भारत सरकार को उसके द्वारा उपभुक्त की जाने हेतु बेची या प्रदाय की गई हो; या

(ख) भारत सरकार या किसी रेल कंपनी को किसी ऐसी रेल के, जो भारत सरकार द्वारा प्रशासित की जाती हो, सन्निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन में उपभुक्त की जाने हेतु बेची या प्रदाय की गई हो;

(दो) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ग्रामीण विद्युत् सहकारी सोसाइटी को थोक (बल्क) में बेची या प्रदाय की गई हो;

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "मास" से अभिप्रेत है ऐसी कालावधि जो विहित की जाए.

(२) १० किलोवॉट से अधिक की कुल क्षमता के अपने केपटिव पावर यूनिट या डीजल जनरेटर सेट के द्वारा विद्युत् ऊर्जा का उत्पादन करने वाला प्रत्येक उत्पादक उत्पादित विद्युत् ऊर्जा के, जो किसी मास के दौरान चाहे किसी उपभोक्ता को विक्रय या प्रदाय के लिये हो या स्वयं या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभोग के लिये हो, कुल यूनिटों पर ऊर्जा विकास उपकर २० पैसे प्रति यूनिट की दर से राज्य सरकार को चुकाएगा:

परन्तु —

(एक) भारत सरकार द्वारा उपभुक्त की जाने हेतु उस सरकार द्वारा;

(दो) किसी ऐसी रेल कंपनी के जो भारत सरकार द्वारा प्रशासित की जाती हो, सन्निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन में उपभुक्त की जाने हेतु भारत सरकार या किसी रेल कंपनी द्वारा;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त की जाने हेतु उस सरकार द्वारा;

(चार) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ग्रामीण विद्युत् सहकारी सोसाइटी द्वारा;

(पांच) स्थानीय निकायों द्वारा, जिनमें वे नगरपालिक निकाय तथा पंचायतें भी सम्मिलित हैं जो ऐसी निकायों द्वारा अनुरक्षित किसी बाजार स्थान में सड़क बत्ती या बत्तियां या जल संकर्म या लोक समागम के किन्हीं अन्य स्थानों में उपभुक्त की जाने हेतु;

उत्पादित की गई विद्युत् ऊर्जा के संबंध में कोई उपकर देय नहीं होगा:

परन्तु यह और कि ऊर्जा विकास उपकर की रकम मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल द्वारा संगृहीत की जाएगी और इस प्रकार संगृहीत रकम राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी.

(३) उपधारा (१) तथा (२) के अधीन उपकर के आगम प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किए जाएंगे और राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधि द्वारा सम्यक् विनियोग कर दिया जाने के पश्चात्, राज्य की संचित निधि में से ऐसी रकम प्रत्याहृत कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उगाहे गए उपकर के आगमों के समतुल्य हो और उसे एक ऐसी पृथक् निधि में जमा करेगी जो ऊर्जा विकास निधि कहलाएगी और उक्त निधि में जमा ऐसी रकम मध्यप्रदेश राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित व्यय होगी.

(४) निधि में जमा रकम, राज्य सरकार के विवेकानुसार निम्नलिखित के लिए उपयोग में लाई जाएगी,—

(क) ऊर्जा, जिसके अंतर्गत विद्युत् ऊर्जा और साथ ही ऊर्जा के अन्य परम्परागत (कन्वेंशनल) तथा अपरम्परागत (नॉन कन्वेंशनल) स्त्रोत भी आते हैं, के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास;

(ख) ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा उपयोग संबंधी दक्षता में सुधार, जिसके अन्तर्गत पारेषण तथा वितरण में होने वाली हानि का कम किया जाना भी आता है;

(ग) अधिकतम दक्षता, निरन्तरता तथा सुरक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से, उन उपस्करों के, जो ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोग में लाए जाते हैं, रूपांकन (डिजाइन), सन्निर्माण, अनुरक्षण, प्रचालन और सामग्री के बारे में अनुसंधान;

(घ) ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिये, ऊर्जा के स्त्रोतों, जिनके अंतर्गत अस्थायी (नॉन पेरीनियल) स्त्रोत भी आते हैं का सर्वेक्षण;

(ङ) ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम;

(च) उपभोक्ताओं को ऐसी सुविधाओं और सेवाओं का विस्तारित किया जाना जो आवश्यक समझी जाएं;

(छ) विद्युत् साधित्रों तथा उपस्करों और ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोग में लाए जाने वाले अन्य उपस्करों के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला और परीक्षण सुविधाओं का संस्थापन;

(ज) उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधक प्रशिक्षण कार्यक्रम;

(झ) ऊर्जा के क्षेत्र में टेक्नोलाजी का अंतरण;

(ञ) विद्युत् संस्थापनों की सुरक्षा से संबंधित कोई प्रयोजन; और

(ट) विद्युत् ऊर्जा तथा अन्य प्रकार की ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण, वितरण या उपयोग के सुधार से संबंधित कोई अन्य ऐसे प्रयोजन जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा में "ऊर्जा" के अंतर्गत ऊर्जा के समस्त परम्परागत और अपरम्परागत रूप आते हैं.

(५) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या वह प्रयोजन जिसके लिए निधि का उपयोग किया जा रहा है, उपधारा (४) के अंतर्गत आने वाला प्रयोजन है अथवा नहीं तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा."

भोपाल :
तारीख २७ जून, २००१

डॉ. भाई महावीर
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2001

क्र. 4521-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 2, सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 2 of 2001

THE MADHYA PRADESH UPKAR (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2001.

[First published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 29th June, 2001]

Promulgated by the Governor in the Fifty-Second year of the Republic of India;

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title.

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Upkar (Sanshodhan) Adhyadesh, 2001.

Madhya Pradesh Act No. 1 of 1982 to be referred temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have effect subject to the amendment specified in Section-3.

Amendment of Section 3.

3. For section 3 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Levy of energy development cess.

3 (1) Every distributor of electrical energy shall pay to the State Government at the prescribed time and in the prescribed manner an energy development cess at the rate of one paise per unit on the total units of electrical energy sold or supplied to a consumer or consumed by himself or his employees during any month:

Provided that no cess shall be payable in respect of electric energy,—

(i) (a) sold or supplied to the Government of India for consumption by th·· Government; or

(b) sold or supplied to the Government of India or a railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway administered by the Government of India;

(ii) sold or supplied in bulk to a Rural Electric Co-operative Society registered under the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961);

Explanation.—For the purpose of this sub-section 'month' means such period as may be prescribed.

(2) Every producer producing electrical energy by his captive p^wer unit or diesel generator set of capacity exceeding 10 Kilowatt in total shall pay to the State Goverment an energy development cess at the rate of 20 paise per unit on the total units of electrical energy produced whether for sale or supply to a consumer or for consumption by himself or his employees during any month:

Provided that no cess shall be payable in respect of electrical energy produced by :—

(i) the Government of India for consumption by that Government.

(ii) the Government of India or a railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway administered by the Government of India.

(iii) the State Government for consumption by that Government.

(iv) a Rural Electric Co-operative Socciety registered under the M. P. Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

(v) the Local bodies including Municipal bodies and Panchayats for consumption in public street lamp or lamps in any market place or water works or any other places of public resort maintained by such bodies :

Provided further that the amount of energy development cess shall be collected by the Madhya Pradesh State Electricity Board and the amount so collected shall be made available to the State Government".

(3) The proceeds of the cess under sub-section (1) and (2) shall first be credited to the Consolidated Fund of the state and the State Government may, at the commencement of each financial year, after due appropriation has been made by law, withdraw from the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to the proceeds of cess realized by the State Government in the preceding financial year and shall place it to the credit of a separate fund to be called the Energy Development Fund and such credit to the said fund shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State Government of Madhya Pradesh.

(4) The amount in the credit of the funds shall, at the discretion of the State Government be utilized for :—

(a) research and development in the field of energy including electrical energy as well as other conventional and non-conventional sources of energy;

(b) improving the efficiency of generation, transmission, distribution and utilization of energy including reduction of losses in transmission and distribution;

(c) research in design, construction, maintenance, operation and materials of the equipment used in the field of energy with a view to achieve optimum efficiency, continuity and safety;

(d) survey of energy sources including non-perennial sources to alleviate energy shortage;

(e) energy conservation programmes;

(f) extending such facilities and services to the consumers as may be deemed necessary;

(g) creation of a laboratory and testing facilities for testing of electrical appliances and equipments and other equipments used in the field of energy;

(h) programmes of training conducive to achieve any of the above objectives;

(i) transfer of technology in the field of Energy;

(j) any purpose connected with safety of electrical installations, and

(k) any other purposes connected with improvement of generation, transmission, distribution or utilization of electrical and other forms of energy, as the State Government may, by notification, specify.

Explanation.—In this sub-section 'energy' includes all conventional and non-conventional forms of energy.

(5) If any question arises as to wherther the purpose for which the fund is being utilized is a purpose falling under sub-section (4) or not, the decision of the State Government thereon shall be final and conclusive.".

Bhopal :
Dated the 27th June, 2001.

Dr. BHAI MAHAVIR
Governor
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २०१३

मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०१२.

[दिनांक ७ जनवरी, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक ११ जनवरी, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ३ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१)(क) प्रत्येक उत्पादन कम्पनी, उस विद्युत ऊर्जा की, जो विहित कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी या किसी उपभोक्ता को बेची गई या प्रदाय की गई हो या स्वयं उसके द्वारा या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त की गई हो, कुल यूनिटों पर ऊर्जा विकास उपकर पन्द्रह पैसे प्रति यूनिट की दर से, विहित रीति में यथा विहित समय पर, राज्य सरकार को चुकाएगा :

परंतु ऐसी किसी उत्पादन कम्पनी द्वारा बेची या प्रदाय को गई विद्युत् ऊर्जा के संबंध में कोई उपकर देय नहीं होगा जिसमें कि मध्यप्रदेश शासन का इक्यावन प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा (इक्विटी) हो.

(ख) किसी कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का स्वामी या उसका संचालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उस विद्युत् ऊर्जा की, जो विहित कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी या किसी उपभोक्ता को बेची गई या प्रदाय की गई हो या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त की गई हो, कुल यूनिटों पर ऊर्जा विकास उपकर पन्द्रह पैसे प्रति यूनिट की दर से, विहित रीति में, यथा विहित समय पर, राज्य सरकार को चुकाएगा :

परंतु किसी कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का स्वामी या उसका संचालन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं उपभुक्त की गई विद्युत् ऊर्जा के संबंध में कोई उपकर देय नहीं होगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "उत्पादन कम्पनी", "व्यक्ति", "कैप्टिव उत्पादन संयंत्र", "वितरण अनुज्ञप्तिधारी" और "उपभोक्ता" के वही अर्थ होंगे जो विद्युत् अधिनियम, २००३ (२००३ का ३६) की धारा २ में उनके लिए दिए गए हैं.".

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्र. 253-18-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 9 of 2013

THE MADHYA PRADESH UPKAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012.

[Received the assent of the Governor on the 7th January, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th January, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

Amendment of Section 3.

2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) (a) Every Generating Company shall pay to the State Government at the prescribed time and in the prescribed manner an energy development cess at the rate of fifteen paise per unit on the total units of electrical energy sold or supplied to a distribution licensee or consumer in the State of Madhya Pradesh or consumed by itself or its employees during prescribed period :

Provided that no cess shall be payable in respect of electrical energy sold or supplied by any Generating Company in which the Government of Madhya Pradesh has fifty one percent or more equity.

(b) Every person owning or operating a captive generating plant shall pay to the State Government at the prescribed time and in the prescribed manner an energy development cess at the rate of fifteen paise per unit on the total units of electrical energy sold or supplied to a distribution licensee or consumer in the State of Madhya Pradesh or consumed by its employees during prescribed period :

Provided that no cess shall be payable in respect of electrical energy consumed himself by any person owning or operating a captive generating plant.

Explanation.—For the purpose of this sub-section "Generating Company", "person", "captive generating plant", "distribution licensee" and "consumer" shall have the same meaning as assigned to them in Section 2 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003).".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

(23)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 जनवरी 2015—माघ 1, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2015

क्र. 687-20-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी, 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् २०१५

मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

[दिनांक ८ जनवरी, २०१५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २१ जनवरी, २०१५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ है. संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ४ में, — धारा ४ का संशोधन.

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द तथा अंक "क्रमांक १० सन् १९४९" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "क्रमांक १७ सन् २०१२" स्थापित किए जाएं;

(दो) प्रावधान में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, १९४९ (क्रमांक १० सन् १९४९) की धारा ३-ख से ९ (दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए)," के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, २०१२ (क्रमांक १७ सन् २०१२) की धारा ४ से ११ तथा १३," स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2015

क्र. 688-20-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश उपकार (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 5 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 5 OF 2015

THE MADHYA PRADESH UPKAR (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2014.

[Received the assent of the Governor on the 8th January, 2015; assent First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 21st January, 2015].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fifth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam 2014.

Amendment of section 4.

2. In section 4 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982).– (i) in the marginal heading, for the words and figures "No. X of 1949", the words and figures "No. 17 of 2012" shall be substituted;

(ii) in the provision, for the words, figures and brackets "section 3B to 9 (both inclusive) of the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949 (No. X of 1949)", the words, figures and brackets "sections 4 to 11 and 13 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012)" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

29

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 जनवरी 2017—पौष 26, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2017

क्र. 847-12-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०१७

मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६

[दिनांक ८ जनवरी, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १६ जनवरी, २०१७ को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ३ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ग) विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, जो खण्ड (क) तथा (ख) के अंतर्गत नहीं आता है और जो राज्य के बाहर से मुक्त अभिगमन के माध्यम से विद्युत् ऊर्जा उपलब्ध या अभिप्राप्त कर राज्य के भीतर उपभोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा विहित कालावधि के दौरान उपभोग की गई कुल विद्युत् ऊर्जा का पन्द्रह पैसे प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा विकास उपकर का भुगतान, राज्य सरकार को विहित समय पर तथा विहित रीति में, किया जाएगा.".

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2017

क्र. 847-12-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 6 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 6 of 2017

THE MADHYA PRADESH UPKAR (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

[Received the assent of the Governor on the 8th January, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 16th January, 2017.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

Amendment of Section 3. 2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982), in sub- section (1), after clause (b), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(c) Every person other than electricity distribution licensee, who is not covered under clauses (a) and (b) and who consumes electrical energy within the State upon procuring or obtaining it from outside the State through open access, shall pay to the State Government at the prescribed time and in the prescribed manner an energy development cess at the rate of fifteen paise per unit of total electrical energy consumed by such person during prescribed period.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.